न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/182

1. प्रभूलाल पुत्र स्व0 तेज्या जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भैरूलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/2. सीताबाई उर्फ छीताबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी हेमराज जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/3. मंजू बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल पत्नी ओम प्रकाश जाति किराड ।
   1/4. भूली बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी लीलाधर जाति किराड निवासीगण ग्राम कराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. लेखराज पुत्र केसरी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय **दिनांकः 21.06.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक प्रभूलाल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उमरदा तहसील, सांगोद में आराजी खसरा नम्बर 225 की 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी ने मृतक घासी से दिनांक 07.12.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया था तब वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है । वादी द्वारा उक्त भूमि कय करने के वाद प्रतिवादी कम 2 ने अपने को उक्त भूमि पर हिब्बा बताकर पूर्व में वाद प्रस्तुत किया जिसमें वह माननीय राजस्व मण्डल तक हार चुका है । वादी उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल से जीत जाने के बाद दिनांक 12.04.91 से इंतकाल नं0 346 अपने नाम करवा लिया है जिसकी अपील भी प्रतिवादी कम 2 ने प्रस्तुत की है । वादी को अपने मालिकाना एवं काबिजाना हक की आराजी को प्रतिवादीगण हार जाने के बावजूद भी अपने कब्जे में करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एवं मालिकाना हक की वादग्रस्त आराजी पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.02.2007 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 23.02.2007 से व्यथित होकर वादीग अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2013 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.1.2013 की पालना में परीक्षण न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.11.2020 के द्वारा प्रकरण मुताबिक राजीनामा डिकी कर दिया और नगद प्रतिभूति की राशि प्रतिवादी बिरधीलाल पुत्र रामकिशन को लौटाये जाने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.11.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट मृतक प्रभूलाल के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट कम 01 व 02 द्वारा षडयंत्रपूर्ण तरीके से परीक्षण न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करवा ली । परीक्षण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण है ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि कोविड–19 महामारी के चलते माननीय उच्च न्यायालय एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की गाईड लाईन के तहत न्यायालयों में कार्य बन्द होने के कारण

अपीलान्ट माननीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की अपील समय पर पेश नहीं कर सका था । अतः कोविड महामारी के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मृतक प्रभूलाल ने मृतक घांसी लाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी । परीक्षण न्यायालय दौराने वाद वादी लेखराज पुत्र केसरीलाल द्वारा दिनांक 08.01.2019 को बिरधीलाल के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण के नाम डिलिट किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 व 6 के नाम डिलीट किये जाने के आदेश पारित किये थे। इस प्रकार अपीलान्ट को सुने बिना ही नाम डिलीट कर दिये गये । बिरधीलाल प्रतिवादी व रेस्पोडेन्ट क्रम 02 लेखराज द्वारा आपस में राजीनामा कर लिया था और राजीनामे अनुसार जमाशुदा नगद प्रतिभूति राशि को बिरधीलाल के पक्ष में दिये जाने का आदेश पारित किया जबकि बिरधीलाल के पक्ष में जमाशुदा राशि छोडने की कभी भी बात नहीं कही थी । परीक्षण न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है जो आदेश 20 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 1998 आरएलआर (2) पेज 301, आरआरडी 1986 पेज 666, आरआरडी 1997 पेज 218, आरआरडी 1986 पेज 187 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 व 2 के मध्य राजीनामा हो गया था । परीक्षण न्यायालय में उनके द्वारा दिनांक 08.01.2019 को लिखित राजीनामा पेश किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने तस्दीक कर बरूए राजीनामा वाद डिक्री किया है । उक्त राजीनामे में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में लेखराज के नाम से दर्ज तथा वही उक्त भूमि में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । बिरधीलाल उक्त प्रकरण को लडता चला आ रहा है और उसका काफी पैसा खर्च हो चुका है इसलिए वह उक्त प्रकरण को आगे नहीं लडना चाहता । उक्त राजीनामे अनुसार तहसीलदार के पास जमा नगदप्रतिभूति की राशि को बिरधीलाल प्राप्त करने का अधिकारी होगा । इसी अनुसार परीक्षण न्यायालय ने वाद डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2021 (1) आरआरटी पेज 19 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 01 बिरधी लाल ने न्यायालय हाजा में दिनांक 03.06.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 बिरधीलाल द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रिसीवरी की जमा राशि 1,91,780/- रूपये ट्रेजरी के द्वारा रेस्पोडेन्ट के बैंक एकाउन्ट में जमा की थी । रेस्पोडेन्ट उक्त राशि विड्रो कर चुका है । न्यायहित में रेस्पोडेन्ट अपने बैंक एकाउन्ट के स्टेटमेंट की प्रति पेश करना चाहता है जिसके रिकॉर्ड पर लिया जावे ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न बैंक एकाउन्ट की फोटो प्रति है । अतः दस्तावेज को शामिल मिसल किया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । नकल जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्तआराजी झूमा बाई पत्नी रामकिशन व भंवरी पत्नी भंवरलाल हि0 ब0 के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर इंतकाल नं0 346 दिनांक 12.04.91 से भूमि प्रभूलाल वल्द तेज्या कराड निवासी उमरदा के नाम खाते दर्ज करने का आदेश होने से दर्ज किया, का नोट अंकित है । अपील मीमो के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 621 रकबा 3.54 हैक्टर भूमि प्रभूलाल पुत्र तैज्या कौम किराड के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर इंतकाल नं0 156 दिनांक 22.12.2008 से मृतक प्रभूलाल के स्थान पर भैरूलाल पुत्र सीताबाई, मंजूबाई, भूलीबाई पुत्रियॉ व धन्नी बाई बेवा का नाम हि0 ब0 दर्ज करने की स्वीकृति हुई का नोट अंकित है । इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 06.08.2009 से जरिये रजिस्टर्ड सम्पूर्ण आराजी पर केता लेखराज पुत्र केसरी लाल जाति गुर्जर निवासी, बूढनी का नाम खाता दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2058 से 2077 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 57 एंव 225 के हाल खसरा नम्बर 122 व 621 कायम हुए हैं। रजिस्टर्ड विकय पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है ।

14. अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 के अनुसार वादग्रस्त आराजी लेखराज पुत्र केसरी लाल के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति विकय विलेख संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 3.54 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 3.58 हैक्टर भैरूलाल आत्मज प्रभूलाल, सीताबाई, मंजूबाई, भूलीबाई पुत्रियॉ प्रभूलाल एवं श्रीमती धन्नी बेवा प्रभूलाल के द्वारा लेखराज पुत्र केसरीलाल को दिनांक 30.07.2009 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान किया गया है ।

15. परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट लेखराज द्वारा दिनांक 08.01.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादी ने प्रतिवादी रामेश्वर, प्रतिवादी बृजमोहन, प्रतिवादी भागचन्द, प्रतिवादी भैरूलाल के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम 1, 2 4 व 6 का नाम डिलीट किये जाने का आदेश पारित किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण का नाम डिलीट किये जाने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट लेखराज एवं बिरधीलाल द्वारा दिनांक 08.01.2019 को लिखित राजीनामा पेश किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने तस्दीक किया और बरूए राजीनामा वाद डिकी किया है । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी लेखराज के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से कय की गई है और उक्त कय के आधार पर आराजी नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 06.08.2009 से लेखराज के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है । इस प्रकार वर्तमान में लेखराज राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है ।

16. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि उनका नाम बिना किसी आधार पर वाद से डिलीट किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में लेखराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2019 के द्वारा प्रतिवादी कम 1, 2, 4 व 6 के नाम डिलीट किये गये है । जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.01.2019 से साबित है । वादीगण द्वारा इन प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया था । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण का नाम डिलीट किया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने लेखराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर केवल प्रतिवादीगण कम , 1, 2, 4 व 6 के नाम ही डिलीट किये हैं । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण के नाम डिलीट कर दिये । प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने नगद प्रतिभूति राशि को लेकर भी आपत्ति की है । अपील के साथ संलग्न रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 30.07.2009 के अनुसार भैरूलाल, प्रभूलाल, सीताबाई, मंजूबाई, भूली बाई एवं श्रीमती धन्नी बाई बेवा प्रभूलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी लेखराज आत्मज केशरीलाल के पक्ष में विकय कर उक्त भूमि के एवज में प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त भूमि से अपने हक–हकूक एवं अधिकार समाप्त कर विकेता को संभला दिये । पत्रावली में संलग्न विकय पत्र का अवलोकन किया उक्त विकय पत्र के पेज संख्या 03 के पैरा संख्या 03 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **"उक्त विकयशुदा आराजियात के सम्बन्ध में आज दिन तक जो भी हक, हकूक एवं अधिकार हम विकेता को प्राप्त थे वे समस्त हक, हकूक एवं अधिकार आज के बाद केता को प्राप्त होंगे ।"** इस प्रकार विकेतागण ने अपने समस्त हक, हकूक केतागण को प्राप्त हो गये हैं । नगद प्रतिभूति की राशि को लेकर अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि नगद प्रतिभूति की राशि रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्राप्त कर ली गई है तथा नगद प्रतिभूमि की राशि अब केवल सिविल न्यायालय के आदेश से ही वापस प्राप्त हो सकती है । अपीलान्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा दिनांक 30.07.2009 को बेचान कर वादग्रस्त आराजी में अपने समस्त हक हकूक समाप्त कर विकेता को दे दिये और केता के पक्ष में वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है । अतः उपर्युक्त विवेचन से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

17. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा के आधार पर जो वाद डिकी किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 03.11.2020 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/182

1. प्रभूलाल पुत्र स्व0 तेज्या जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–
   1/1. भैरूलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/2. सीताबाई उर्फ छीताबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी हेमराज जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   1/3. मंजू बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल पत्नी ओम प्रकाश जाति किराड ।
   1/4. भूली बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी लीलाधर जाति किराड निवासीगण ग्राम कराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. लेखराज पुत्र केसरी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 789/दावा/1997

1. प्रभूलाल पुत्र स्व0 तेज्या जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जरिये कायममुकामान :–

1/1. भैरूलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
1/2. सीताबाई उर्फ छीताबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी हेमराज जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
1/3. मंजू बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल पत्नी ओम प्रकाश जाति किराड ।
1/4. भूली बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी लीलाधर जाति किराड निवासीगण ग्राम कराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
1/4. धन्नी बाई विधवा पत्नी स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

2. लेखराज पुत्र केसरी लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 21.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल एवं रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 21.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा